

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर**  
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/ दिनांक .

**आदेश**

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनके परीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में दो वर्ष की परीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 20800(लेवल-5) उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	कम्प्यूटर योग्यता RSCIT प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	श्री राहुल चौहान	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।	20.03.2017	20.03.2019	24.10.2018	08.08.2017
2	श्री नवीन कुमार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।	25.01.2016	25.01.2018	20.02.2019	05.02.2016

नोट:-क्रम संख्या 2 पर अंकित कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 20.02.2019 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

दिनांक 15/05/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/1142

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/राजसमन्द।
- 2 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3 प्रभागी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 4 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर